कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० डीडीहाट (पिथौरागढ़)
Office of the Executive Engineer, PD, PWD Didihat (Pithoragarh)
E-Mail- eepwdddt@rediffmail.com

o/c

पत्रांक 1922 /3सी दिनॉक 03/09/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :— जनपद पिथौरागढ़ में मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया साईपोलो मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.570 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/251/2016/एफ.सी./1663 दिनांक 28.10.2020 एवं इस कार्यालय द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या पत्रांक 1999/3सी दिनांक 26.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में निर्गत 23 बिन्दुओं की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः निम्नवत् प्रेषित है।

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तें	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि 9.140 हे0 जिलाधिकारी, पिथौरागढ के आदेश सं0 1790/सात–19/2020–21 दिनांक 17.06.2021 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की कार्यवाही कर ली गयी है **(संलग्नक–01)**
3	**प्रतिपूरक वनीकरण :–** **(क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.14 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम साईपोलो सिविल खसरा नं0 360, 362, 363 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.14 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम साईपोलो सिविल खसरा नं0 360, 362, 363 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाते हुये मिश्रित वृक्षारोपण किया जायेगा।
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	जिलाधिकारी, पिथौरागढ के आदेश सं0 1790/सात–19/2020–21 दिनांक 17.06.2021 द्वारा 9.14 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम साईपोलो सिविल खसरा नं0 360, 362, 363 को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। उक्त भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है (प्रमाण पत्र, संलग्नक–02)।
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है (प्रमाण पत्र, संलग्नक–03)।

03/09/2024
EE

क्रमशः......2/–

4	**शुद्ध वर्तमान मूल्य –** **(क)** इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायाल के WP(C) संख्या :202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10. 2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05. 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 –एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006 –एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.207 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.570 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस प्रस्ताव के तहत 4.570 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य ₹40.99.290.00 मात्र दिनांक 26.10.2021 द्वारा CAMPA Fund में UTR No-S18808784 द्वारा जमा कर दी गयी है (चालान की प्रति, **संलग्नक–04**)
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में शपथपत्र संलग्न है (**संलग्नक–05**)।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 378 trees and 34 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम 378 trees and 34 saplings से अधिक की कटाई नहीं की जायेगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटवाये जाएंगे तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत उपकोषागार के माध्यम से ट्रांजेक्शन आई0डी0 सं0 MI3802423111221000 द्वारा दिनांक 15.11.2022 को जमा कर ली गयी है (**संलग्नक–06**)।
6	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड से स्थानान्तरित/जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस प्रस्ताव के तहत 4.570 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य ₹40,99,290.00 मात्र दिनांक 26.10.2021 द्वारा CAMPA Fund में UTR No-S18808784 द्वारा जमा कर दी गयी है (चालान की प्रति, **संलग्नक–04 के अनुसार**)
7	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के छपान एवं कटान से सम्बन्धित आदेश/पत्र संलग्न कर प्रेषित है (**संलग्नक–06 के अनुसार**)। कार्य प्रारम्भ करने हेतु आदेश पारित नहीं किया गया है। यदि भविष्य में कोई आदेश पारित किया जाता है तो आदेश जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।
8	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
9	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सडक के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आईआरसी मानदंडो के अनुसार सडक के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायी जायेगी।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त की जायेगी।
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग, अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग, अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

03/09/2024
EE

क्रमशः......3/—

15	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18	केन्द सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
20	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारति शर्ते लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारति शर्ते मान्य हैं।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी रहेगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन प्रयोक्ता एंजेंसी द्वारा जरूरी अनुमति ली जायेगी।
23	अनुपालना रिपोर्ट ईपोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जा रही है।

अतः प्रयोक्ता अभिकरण लो0नि0वि0 डीडीहाट द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार–(10 पृष्ठ)–05 प्रतियों में।

भवदीय,

O/C 03/09/2024

(इं0 अन्दीप राणा)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक /3सी तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि – अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

O/C 03/09/2024

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0 डीडीहाट

संलग्नक-1 (1)

(1)

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी / यू.सी.पी. / 06 / 251 / 2016 / एफ.सी. / 1663 दिनांक 28.10.2020 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया साईपोलो मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.570 है0 वन भूमि के बदले 9.140 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173 / XVIII(II) / 2012–18 (120) / 2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी में मिलम मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया–साईपोलो तक मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 4.570 है0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण (चारापत्ती संवर्धन) हेतु ग्राम साईपोलो पट्टी लीलम तहसील मुनस्यारी के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–23 श्रेणी–9(3)ग गौचर के खेत नम्बर 360 रकवा 3.366, 362 रकवा 4.452 तथा खेत नम्बर 363 मध्ये रकवा 1.322 है0 कुल 03 खेतों की 9.140 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। चूँकि यह भूमि अभिलेखों में गौचर भूमि अंकित है, जिसमें चारा प्रजाति के वृक्षों का ही रोपण किया जाय।

तहसीलदार, मुनस्यारी स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण / नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक जून 16, 2021

(आनन्द स्वरूप)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 1790 / सात– 19 / 2020–21 — दिनांक जून 17, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी मुनस्यारी।
4. तहसीलदार मुनस्यारी को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 डीडीहाट, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द स्वरूप)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

Attested
23/09/24
Assistant Engineer
P.W.D. Munsyan

1042
3
17/6/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

सहायक अभियन्ता
लो0नि0वि0
मुनस्यारी

17/6/2021

(2)

खतौनी-उद्धरण

मुनस्यारी सारूपोलो मोटर-मार्ग में हुस्नी हेतु (1)

ग्राम– सारूपोलो पट्टी– लीलम तहसील–मुनस्यारी, जिला–पिथौरागढ़ (9.14 है0)

मैं0ज0वि0 खतौनी श्रेणी 9(3) ग गौचर भूमि

खाता सं0	खाते दार का नाम	भौ0 अधि का वर्ष	खसरा सं0	रकबा है0	लगान	आदेश एवं विवरण
1	2	3	4	5	6	7–13
23	गौचर श्रेणी 9(3) ग	1374	327 329 *360 *362 *363 क्रमशः खतौनी के अनुसार 365 369 क्रमशः खतौनी के अनुसार 1573 1575 2054	2.014 0.367 3.366 4.452 6.760 1.405 5.109 0.26 1.755 1.981		राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2010-18(120)/2010 दिनांक 17/12/2020 में निहित प्राविधानों के अनुसार जिलाधि के पत्रांक संख्या 1790/नम-19/2020-21 को हस्तान्तरण/नामान्तरण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो ग्राम- सारूपोलो की अ0ZA में अमल दरामत की गयी है।

कुल नम्बर-17 39.380 है0 भूमि

Attested
Assistant Engineer
P.W.D. Munsyan

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र ...
त0 मुनस्यारी जिला-पिथौरागढ़

तहसीलदार
मुनस्यारी (पिथौरागढ़)

Photo copy Attested
05/08/24
सहायक अभियन्ता
लो0नि0वि0
मुनस्यारी,

सलग्नक-2 (3)

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया साईपोलो मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया साईपोलो मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 4.570 हे0 वन वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 डीडीहाट को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–साईपोलो, पट्टी–लीलम, तहसील–मुनस्यारी, जिला–पिथौरागढ के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता सं0–23 श्रेणी–9(3)ग गौचर के खेत सं0 360, 362 व 363 मध्ये रकवा 9.140 हे0 सिविल भूमि प्राप्त है। उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 1790/सात–19/2020–21 दिनांक 17.06.2021 से हस्तांतरित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तरप्रदेश शासन के पत्र सं0 1506/14–2–97–800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

(औपचा)
प्रा0ख0लो0नि0वि0 विभाग
डीडीहाट

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0ख0लो0नि0वि0
डीडीहाट

सहायक अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

वन क्षेत्राधिकारी
मुनस्यारी

Attested
03/09/24
Assistant Engineer
P.W.D. Munsyari

संलग्नक - 3

(4)

परियोजना का नाम :— **जनपद पिथौरागढ़ में मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया साईपोलो मोटर मार्ग का निर्माण।**

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया **जाता है** कि उक्त परियोजना हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र ग्राम–साईपोलो,, पट्टी–**लीलम,** तहसील–मुनस्यारी, जिला–पिथौरागढ़ में पूर्व में किसी अन्य परियोजना के तहत वृक्षारोपण **कार्य नहीं** किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़.

प्रा०ख०लो०नि० विभाग
डीडीहाट

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
डीडीहाट

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

वन क्षेत्राधिकारी
मुनस्यारी

Attested
02/09/24
Assistant Engineer
P.W.D. Munsyari

संलग्नक - 4 (5)

(4)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 26-10-2021

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6117531232
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/251/2016/FC
Address.	PD PWD Didihat PO- Didihat Pithoragarh
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdddt@rediffmail.com 9412967464 5964-232124
Amount(in Rs)	7181151.76/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words:Seventy-One Lakh Eighty-One Thousand One Hundred and Fifty-Two Rupees Only

Depositor Signature (Signature) Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 26-10-2021

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6117531232
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/251/2016/FC
Address.	PD PWD Didihat PO- DidihatPithoragarh
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdddt@rediffmail.com 9412967464 5964-232124
Amount(in Rs)	7181151.76/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words :Seventy-One Lakh Eighty-One Thousand One Hundred and Fifty-Two Rupees Only

Depositor Signature (Signature) Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskc

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even a then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: epurse@unionbankofindia.com

27/10/21
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

27/10/21
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

Attested
25/09/21
Assistant Engineer
P.W.D. Munsyari

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया Union Bank of India DIDIHAT BRANCH शाखा डीडीहाट

Photo copy Attested
25/08/21
सहायक अभियन्ता
लो०नि०वि०
मुनस्यारी

संलग्नक - 5 (6)

शपथ पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया साईपोलो मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.570 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर कर लिया जायेगा।

20/08/2024
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0 डीडीहाट

संलग्नक — (6)

(7)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० डीडीहाट (पिथौरागढ़)

Office of the Executive Engineer, PD, PWD Didihat (Pithoragarh)

Phone & Fax- 05964-232124 E-Mail- eepwdddt@rediffmail.com

पत्रांक 2691 / Cam दिनॉक 16 / 11 / 2022

सेवा में,

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
पिथौरागढ़।

विषय :— **मुनस्यारी मिलम दुंग मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया साईपोलो मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों के निस्तारण हेतु प्रांकलन का प्रेषण।**

संदर्भ :— **आपका पत्रांक 513 / विकास कार्य दिनांक 29.10.2022।**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि मुनस्यारी मिलम दुंग मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया साईपोलो मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों के निस्तारण हेतु लौटों के प्राकंलन में अंकित विवरण के अनुसार ₹197809.00 मात्र का भुगतान आई०एफ०एम०एस० प्रणाली के अन्तर्गत ट्राजेक्शन आई०डी० संख्या MI3802423111221000 द्वारा दिनांक 15.11.2022 को आपको कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया प्रभावित वृक्षों का अविलम्ब निस्तारण करने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

16/11/22

(इं० जगदीश प्रसाद)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि० डीडीहाट
16/11/22

Attested
23/09/24
Assistant Engineer
P.W.D. Munsyan

8

Bill Type : Normal

Print Date - 3-9-2024
Transaction ID - MI3802423111221000

E-Sign

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१
(देंखे अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

1 - जनपद का नाम : पिथौरागढ़
2- कोषागार का नाम : डीडीहाट
3- देयक की अवधि कब से .... कब तक
4- रिकार्ड कोड: 1 | 0 | 3
5- कोषागार/उपकोषागार का कोड: 3 | 8 | 0 | 2
6- देयक पंजी की क्रम संख्या: 0 | 1
7- वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है): B | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)जिला तथा अन्य सड़के
लघुशीर्षक -	(337)सडक निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक -	(01)चालू निर्माण कार्य

वाउचर दिनांक: 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2

8- मतदेय/भारित : मतदेय
9- लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक +3 लघुशीर्षक+2 उपशीर्षक+2 ब्योरेवार शीर्षक): 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3
10-आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम : अधिशासी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्लू डी डीडीहाट
11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड: 4 | 2 | 3 | 1
12- अधिष्ठान का नाम : अधिशासी अभियंता प्रांतीय प्रभाग पी डब्लू डी डीडीहाट
13- अनुदान संख्या :(022)लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान संख्या
14- सोर्स कोड :0
15- सेक्टर कोड :
16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)
17- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें) Project : PR3802423107211000 Construction of Milam Motor Road to Quireejimiya Saipolo Motor Road in Distt Pithoragarh Bidhan Sabha Dharchula Block Munsyari Under MMG (Phase-I)
Contract :

बजट की वर्तमान स्थिति

मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
53-वृहद निर्माण	27000000	26109098	890902

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
53-वृहद निर्माण	1,97,809
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	**1,97,809**

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्व देय धनराशि 66-77	**1,97,809**

Sl. No.	व्यय सम्बन्धी विवरण	धनराशि रू0	अभ्युक्ति
1	01 /10-NOV-2022/UTTRAKHAND VAN VIKAS NIGAM	1,97,809	
66- सकल धनराशि अग्रिम समायोजन के बाद		**1,97,809**	
77- सम्पूर्ण कटौतियां		-	
99 शुद्व देय धनराशि 66-77		**1,97,809**	

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

प्रभागीय लेखाकार /लेखाधिकारी **आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर**

Attested 03/09/24
Assistant Engineer
P.W.D. Munsyari

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल काउन्टरसाइन्ड कंटीजेंसी के प्रकरण में ही लागू होगा)
(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

धनराशि रू0 1,97,809 (Rupees One Lac Ninety Seven Thousand Eight Hundred Nine Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।
संक्रमण द्वारा रू0 -
सकल धनराशि रू0 1,97,809

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Sl. No.	Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1	05AAALU0009MOZG UTTRAKHAND VAN VIKAS NIGAM	Saving	SBIN0000700	10886651846	197809	0	0	197809
					197809	**0**	**0**	**197809**

Email : @mpithoragarh@gmail.com / PAN No. AAALU0009M /GSTNo. 05AAALU0009MOZG Phone/Fax: 05964-224187

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक: पिथौरागढ़

पत्रांकः- 513 /विकास कार्य

दिनांक 29 /10 /2022

सेवा में,

रजिस्टर्ड डाक द्वारा

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
डीडीहाट।

विषयः- मुनस्यारी मिलम दुंग मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया सांईपोलो मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों के निस्तारण हेतु प्रायकलन का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में निम्नानुसार मुनस्यारी मिलम दुंग मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया सांईपोलो मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों के निस्तारण हेतु लौटो का प्राक्कलन संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम के चालू खाता संख्या 10886651846 एस.बी.आई. पिथौरागढ़ में RTGS के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरित कर इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा करें जिस हेतु एस.बी.आई. पिथौरागढ़ का IFSC कोड संख्या SBIN0000700 है। आपको सूचित की जा रही धनराशि प्राक्कलन में उल्लेखित अनुमानित मात्रा के आधार पर आगणित की गयी है, वास्तविक उत्पादन के पश्चात् धनराशि में यदि कोई कमी/वृद्धि होती है तो तदनुसार जमा धनराशि वापस/पुनः शेष धनराशि को जमा करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

लौट संख्या	मोटर मार्ग का नाम	धनराशि
39/2022-23	मुनस्यारी मिलम दुंग मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया सांईपोलो मोटर मार्ग	1,34,630.00
40/2022-23	मुनस्यारी मिलम दुंग मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया सांईपोलो मोटर मार्ग	10,944.00
41/2022-23	मुनस्यारी मिलम दुंग मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया सांईपोलो मोटर मार्ग	52,235.00
	योगः-	[redacted]

अतः उपरोक्तानुसार धनराशि रु0 1,97,809.00 (एक लाख सत्तानबे हजार [redacted] सौ नौ मात्र) यथाशीघ्र प्रदान करने [redacted] होने के उपरान्त लौटो में वृक्षों का विदोहन कार्य करवाया जाना सम्भव [redacted]।

[redacted]-उपरोक्तानुसार लौट का प्राक्कलन,

भवदीय,

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
पिथौरागढ़।

O/C

पत्रांक- 513 /उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिप- अनुभाग अधिकारी पिथौरागढ़ अनुभाग को उपरोक्तानुसार इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप भी अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग डीडीहाट के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। एवं कार्य हेतु धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त लौटो में यथासमय कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
पिथौरागढ़।

Attested
Assistant Engineer
P.W.D. Munsyari

SCEM

DLM

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रांक 1674 / 9-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 12-10-, 2022।

सेवा में,

प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
पिथौरागढ़।

विषयः— जनपद पिथौरागढ़ में मुनस्यारी मिलम दुंग मोटर मार्ग से क्वीरीजिमियाँ साईपोलो मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.570 है0 वनभूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में।

संदर्भः— वन क्षेत्राधिकारी मुन्सयारी का पत्रांक— 908 / 9—1, दिनांक— 27.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में वन क्षेत्राधिकारी मुनस्यारी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी बेरीनाग की संस्तुति के क्रम में जनपद पिथौरागढ़ में मुनस्यारी मिलम दुंग मोटर मार्ग से क्वीरीजिमियाँ साईपोलो मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.570 है0 वनभूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की छपान / विक्रय सूची प्रेषित की जा रही है। कृपया लौट हस्तान्तरण कर लौट में तुरन्त कार्य प्रारम्भ करवायें, तथा छपान शर्तों का पालन करवाना सुनिश्चित करें, ताकि कार्य में किसी भी प्रकार का विलम्ब न होने पायें। निर्धारित संख्या से अधिक वृक्षों का पातन न किया जाय।

लौट सं0 / वर्ष	वन का प्रकार	वन क्षेत्र का नाम	वृक्ष की प्रजाति	10—20	20—30	30—40	40—50	50—60	60—70	70—80	80 से उपर	वृक्षों की संख्या
39 / 2022—23	आरक्षित वन भूमि	जीमिया कक्ष संख्या—1	बांज	10	12	11	08	—	—	—	—	41
			बुराँश	08	09	04	01	—	—	—	—	22
			अयार	04	03	03	0	—	—	—	—	10
			कौल	02	02	01	0	—	—	—	—	05
			चमखड़िक	04	06	05	02	—	—	—	—	17
			पांगर	0	02	01	0	—	—	—	—	03
			खड़िक	0	03	0	0	—	—	—	—	03
			चिरड़	13	16	08	0	—	—	—	—	37
			उतीस	02	12	21	08	—	—	—	—	43
40 / 2022—23	वन पंचायत क्वीरी	वन पंचायत	उतीस	05	08	06	02	—	—	—	—	21
41 / 2022—23	क्वीरी / जीमिया सिविल	सिविल	उतीस	35	28	18	02	—	—	—	—	83
			खड़ीक	05	03	03	0	—	—	—	—	11
			अंगू	03	04	10	0	—	—	—	—	17
			चिरड़	20	19	14	0	—	—	—	—	53
			दल	04	04	01	0	—	—	—	—	09
			मेहल	02	01	0	0	—	—	—	—	03
योगः—				**117**	**132**	**106**	**23**	—	—	—	—	**378**

संलग्नः—**बिकी / छपान सूची।**

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

Attested
03/09/24
Assistant Engineer
P.W.D. Munsyan